न्यायालय – प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र)
(समक्ष – ललित किशोर)

Registration No. MJC/381/2026
Filing No. MJC/2910/2026
CNR No. MP0701-010091-2026
Filing Date - 30-04-2026

भगत भीकम सिंह कुशवाह पुत्र स्व0 श्री रामचरण सिंह कुशवाह, आयु 63 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी राष्ट्रदेव भवन, विश्वाचल पर्वत, भैरो बाबा की बगिया, गुढ़ा कम्पू रोड, लश्कर, ग्वालियर

.........आवेदक

बनाम

1. श्रीमती सुजाता सिंह पत्नि स्व0 श्री राघवेन्द्र सिंह, आयु 64 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी मकान नं0–13 एवं 14, सिंधी कालोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर
2. सुनैयना सिंह पुत्री स्व0 श्री राघवेन्द्र सिंह, आयु 34 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी मकान नं0–13 एवं 14, सिंधी कालोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर
3. सुचेतना सिंह पुत्री स्व0 श्री राघवेन्द्र, आयु 30 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी मकान नं0–13 एवं 14, सिंधी कालोनी, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर
4. जयश्री महाकाल डवलपर्स द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जीतू कुशवाह पुत्र श्री ज्ञान सिंह कुशवाह, आयु 34 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी ग्राम रूद्रपुरा, सुसेरा, ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0
5. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय सिटी सेन्टर, लश्कर, ग्वालियर

.......अनावेदकगण

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 01 जुलाई 2026 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है।

2. आवेदक की ओर से आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रकरण क्रमांक–1097/2025 आरसीएसए अठारहवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अनावेदकगण द्वारा भी समान विषयवस्तु, समान कारण कार्य एवं समान पक्षकारों के मध्य एक अन्य दीवानी वाद क्रमांक–546/2025 आरसीएसए षष्ठम जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। षष्ठम जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक–546/2025 आरसीएसए में दिनांक–18.04.2026 को आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 के अंतर्गत अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्थगन आदेश प्रदान किया गया है। दोनों वादों में विवाद की प्रकृति, तथ्य, साक्ष्य एवं पक्षकार पूर्णतः समान हैं। अतः दोनों प्रकरणों का एक ही न्यायालय में विचारण अत्यंत आवश्यक है। यदि दोनों वाद अलग अलग न्यायालयों में विचारित होते हैं, तो परस्पर विरोधाभासी निर्णय आने की संभावना है, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति बाधित होगी। अतः उपरोक्त दोनों प्रकरण किसी एक सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का निवेदन किया गया है।

3. अनावेदक क्रमांक–1 लगायत 3 की ओर से श्री रोहित जैन अधिवक्ता ने आवेदनपत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए आवेदनपत्र का मौखिक रूप से विरोध किया है। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्रमांक–5 की ओर से श्री विजय कुमार शर्मा शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र पर आपत्ति न होना मौखिक रूप से प्रकट किया गया है। अनावेदक क्रमांक–4 तामीली उपरांत अनुपस्थित रहा है।

4. विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

> **"क्या आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत धारा 24 सी.पी.सी., उचित एवं सद्भावी होने से, स्वीकार किये जाने योग्य है?"**

5. अठारहवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय से प्राप्त प्रकरण क्र0–1097/2025 आरसीएसए (भगत भीकम सिंह वि0 श्रीमती सुजाता व अन्य) के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण आवेदक की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध कृषि भूमि सर्वे क्रमांक–1226/मिन–1, 1226/मिन–2, 1227, 1228, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2, 1240, 1241, 1242, 1315, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1364 एवं 1370, कुल किता 19 कुल रकवा 5.143 हेक्टेयर स्थित ग्राम गिरवाई, तहसील ग्वालियर पटवारी हल्का नं0–38 वार्ड क्रमांक–65 को अनावेदक क्रमांक–1 के पति एवं अनावेदक क्रमांक–2 व 3 के पिता श्री राघवेन्द्र सिंह से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक–11.02.2011 पंजीकृत दिनांक–14.02.2011 के माध्यम से क्रय किया जाना बताते हुए अनावेदक क्रमांक–1 लगायत 3 द्वारा अनावेदक क्रमांक–4 के हित में दिनांक–27.04.2025 को निष्पादित विक्रयपत्र एवं विक्रय अनुबंधपत्र दिनांक–30.04.2025 को व्यर्थ व निष्प्रभावी होकर शून्य होने, अनावेदक क्रमांक–1 लगायत 3 द्वारा असत्य रूप से कराये गये फौती नामान्तरण के आधार पर उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त न होने, आवेदक द्वारा विक्रयपत्र दिनांक–11.02.2011 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि का अपने हित में राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण कराने की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में उक्त न्यायालय में आवेदन धारा 10 सी0पी0सी0 पर तर्क एवं आई0ए0नं0–1/2026 के जवाब प्रस्तुति की अवस्था पर विचाराधीन है।

6. षष्टम जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय से प्राप्त प्रकरण क्र0–546/2025 आरसीएसए (श्रीमती सुजाता सिंह व अन्य वि0 भगत भीकम सिंह व अन्य) के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण अनावेदक क्रमांक–1 लगायत 3 की ओर से आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–4 सहित दो अन्य के विरूद्ध पूर्व दावे में वर्णित विवादित भूमियों को पैतृक कृषि भूमि होना बताते हुए आवेदक के हक में संपादित विक्रयपत्र दिनांक–11.02.2011 पंजीकृत दिनांक–14.02.2011 को शून्य व निष्प्रभावी होने, उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर आवेदक को किसी प्रकार का हित व लाभ प्राप्त करने का अधिकारी न होने की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उपरोक्त प्रकरण वर्तमान में उक्त न्यायालय में आदेश 39 नियम 2ए सी0पी0सी0 एवं आवेदन अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 के जवाब/तर्क की अवस्था पर विचाराधीन है।

7. उभयपक्ष के मध्य इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त दोनों प्रकरण में कृषि भूमि सर्वे क्रमांक–1226/मिन–1, 1226/मिन–2, 1227, 1228, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2, 1240, 1241, 1242, 1315, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1364 एवं 1370, कुल किता 19 कुल रकवा 5.143 हेक्टेयर स्थित ग्राम गिरवाई, तहसील ग्वालियर विवादित हैं और उपरोक्त प्रकरणों में मुख्य पक्षकार भी लगभग समान हैं, ऐसी स्थिति में, उपरोक्त दोनों प्रकरणों के न्यायोचित निराकरण एवं एक ही न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रकरणों का निराकरण किये जाने में सुविधा रहने के तथ्य को देखते हुए, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत धारा 24 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार अठारहवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक–1097/2025 आर0सी0एस0ए0 (भगत भीकम सिंह वि0 श्रीमती सुजाता सिंह व अन्य) को, उनके यहां से आहरित कर, विधिवत सुनवाई हेतु षष्ठम जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के यहां अंतरित किया जाता है। अठारहवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को संबंधित न्यायालय में उपस्थित रहने की सूचना देकर, अपने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को संबंधित न्यायालय में प्रेषित करें।

9. आदेश की प्रति, संबंधित न्यायालयों से प्राप्त मूल अभिलेखों सहित उन्हें सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, पारित किया गया।

हस्ता0

(ललित किशोर)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
ग्वालियर (म0प्र0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

हस्ता0

(ललित किशोर)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
ग्वालियर (म0प्र0)

LALIT KISHORE
Digitally signed by LALIT KISHORE
Date: 2026.07.01 16:53:05 +0530